

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 232]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 13 अगस्त 2024—श्रावण 22, शक 1946

जेल विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 अगस्त 2024

क्र. F 06-02-2022-तीन-जेल.—मध्यप्रदेश सुधारात्मक सेवाएं एवं बंदीगृह अधिनियम, 2024 (क्रमांक 13, सन् 2024) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, दिनांक 2 अक्टूबर, 2024 को उस दिनांक के रूप में नियत करती है, जिसको कि उक्त अधिनियम प्रवृत्त होगा.

No. F 06-02-2022-III-जेल.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 1 of the Madhya Pradesh Sudharatmak Seveyen Evam Bandigrah Adhiniyam, 2024 (No. 13 of 2024), the State Government, hereby, appoints the 2nd day of October, 2024, as the date on which the said Act shall come into force.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमल नागर, उपसचिव.